



2026:AHC:168831

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27158/2026

रीमा और एक अन्य

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : आद्या प्रसाद तिवारी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हालांकि, जमानत आवेदन के साथ जमानत अस्वीकृति आदेश की निःशुल्क प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, लेकिन इस संबंध में आवेदक द्वारा दी गई व्याख्या स्वीकार्य है, इसलिए जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जा रही है।
- हमने आवेदकों के अधिवक्ता श्री ए.पी. तिवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री शत्रुहन यादव की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत याचिका मामले अपराध संख्या 101/2026 में धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109, 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन बेलिपर, जिला गोरखपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि झूठे आरोपों के आधार पर आवेदकों को इस मामले में 31 नामजद और कई अज्ञात व्यक्तियों के साथ आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका ही सौंपी गई है।
- उन्होंने आगे कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच एक मामूली मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि मामले के अभिलेख से यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वे मई 2026 से जेल में हैं।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदकों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो लोग घायल हो गए, लेकिन सामान्य आरोप के आधार पर आवेदकों को 31 नामजद और अज्ञात व्यक्तियों के साथ आरोपी बनाया गया है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि दोनों पक्षों के बीच मामूली मुद्दे पर विवाद हुआ और दुर्भाग्यवश विवाद के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई, इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
10. इसके अलावा, आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वे मई 2026 से जेल में हैं।
11. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदकों को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।
12. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
13. उपरोक्त मामले में आवेदकों - **रीमा** और **प्रदीप** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदकों को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदकों को किसी भी प्रकार की आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदकों की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।